बच्चों का नि:शुल्क और अधिकार अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई)

अधिनियम), 2009

आरटीई अधिनियम क्या है?

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम), 2009, प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, जाति, लिंग या धर्म जैसे कारकों के आधार पर प्रवेश में भेदभाव पर रोक लगाता है।

कानूनी ढांचा:

आरटीई अधिनियम भारत में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है। यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति सुनिश्चित करने में सरकार, स्थानीय अधिकारियों, स्कूलों और अभिभावकों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यह अधिनियम स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षक योग्यता और छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए मानदंड और मानक भी स्थापित करता है।

प्रमुख प्रावधान:

अनिवार्य शिक्षा:

आरटीई अधिनियम सरकार के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। यह निषेध करता है स्कूलों को धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना करना चाहिए। यह अधिनियम उन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रावधान को भी अनिवार्य बनाता है जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है।

गुणवत्ता की शिक्षा:

आरटीई अधिनियम स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षक योग्यता और छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए मानक निर्धारित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। अनुकूल शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को कक्षाओं, पुस्तकालयों, खेल के मैदानों और शौचालयों जैसी पर्याप्त सुविधाएं बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अधिनियम प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को भी अनिवार्य बनाता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात को प्रतिबंधित करता है।

वित्तीय प्रावधान:

आरटीई अधिनियम मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के कार्यान्वयन के वित्तपोषण में केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। इसमें कहा गया है कि सरकार शिक्षकों के वेतन, स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य शैक्षिक संसाधनों से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी। यह अधिनियम शैक्षिक पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

निगरानी और जवाबदेही:

आरटीई अधिनियम अपने प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जवाबदेही के लिए तंत्र स्थापित करता है। स्कूल के कामकाज की निगरानी और आरटीई के अनुपालन की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की स्थापना की आवश्यकता है

मानदंड। यह अधिनियम शिकायतों को दूर करने और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।

शिक्षा पर प्रभाव:

आरटीई अधिनियम का भारत में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे नामांकन दर में वृद्धि हुई है, स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है और स्कूलों में छात्रों की संख्या में सुधार हुआ है। इस अधिनियम ने शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा के अधिकार की मांग करने के लिए सशक्त बनाने में भी योगदान दिया है।

चुनौतियाँ और सुधार:

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, आरटीई अधिनियम को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी और शिक्षा में गुणवत्ता और समानता के मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने और अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता है। सुधारों में शिक्षा में निवेश बढ़ाना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना और स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

निःशुल्क और अनिवार्य बच्चों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देकर और गुणवत्ता एवं समावेशिता के लिए मानक स्थापित करके, यह अधिनियम अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा के निर्माण की नींव रखता है।

समृद्ध समाज. हालाँकि, चुनौतियों पर काबू पाने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार आवश्यक हैं कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वृद्धि और विकास के अवसर उपलब्ध हों।